मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

क्र. IPI/5/0062/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला झाबुआ में रु. 311.65 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फर्टीलाईजर एवं केमीकल परियोजना स्थापना प्रस्ताव (DIPIP18969) हेतु शासनादेश दिनांक 25.01.2021 के पुर्नविलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर आदेश जारी होने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह सुविधा इकाई को परियोजना हेतु लिये गये नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर प्राप्त होगी। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

2. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर देय विद्युत शुल्क से आदेश जारी होने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये। यह सुविधा इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक लिये गये विद्युत भार (अथवा विद्यमान संयोजन पर इस परियोजना हेतु लिये गये विद्युत भार) पर प्राप्त होगी।

3. विभागीय आदेश क्र. एफ 16-16/2019/ए-ग्यारह, दिनांक 25.01.2021 द्वारा परियोजना को स्वीकृत अन्य सुविधायें यथावत रखी जाती है।
4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।
5. यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 01/07/2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ. क्र. IPI/5/0062/2023 /ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- झाबुआ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि., 115-120, एकेव्हीएन इण्डस्ट्रीयल एरिया, मेघनगर, जिला झाबुआ – 457779.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग